न्यायालय : अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश (समक्ष—प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहारवाद क्रमांक : 159ए/2015

संस्थित दिनांक : 23.11.2011 🍖

फाइलिंग नंबर : 230303001772011

दतिया

वर्ष

1—गुलशेर पुत्र सरदार खां आयु 45 वर्ष जाति मुसलमान व्यवसाय खेती, निवासी कस्बा मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– वादी

बनाम

1-जसवंतसिंह पुत्र जगतसिंह आयु 45 वर्ष 2—भूपसिंह पुत्र जगतसिंह आयु 42 वर्ष 3—ध्रवसिंह पुत्र जगतसिंह आयु 40 वर्ष 4—मेघसिंह पुत्र जगतसिंह आयु 38 वर्ष निवासीगण कस्बा मौ परगना गोहद जिल भिण्ड म.प्र. 5-लोंगश्री पुत्री जगतसिंह आयु 60 निवासी नया बस स्टैण्ड भिण्ड म.प्र. 6—पप्पू पुत्र मुकुटसिंह आयु 22 वर्ष निवासी कस्बा मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र. 7—गंधारी वारी पत्नी अविलाखसिंह आयु 30 वर्ष निवासी गोरियन टोला मौ परगना गोहद जिला भिण्ड 8–राजेन्द्रसिंह पुत्र कलियानसिंह आयु 35 वर्ष जाति यादव निवासी रतवा परगना गोहद जिला भिण्ड 9—गौरीशंकर पुत्र जगतसिंह आयु 40 वर्ष निवासी लोहारपुरा मौ परगना गोहद जिला भिण्ड 10-सियाराम पुत्र माखनसिंह आयु 45 वर्ष लोहारपुरा मौ परगना गोहद जिला भिण्ड 11-रामअभिषेक पुत्र मोहन आयु 19 वर्ष जाति यादव निवासी मंगरील परगना सेंवढ़ा जिला

12-अजयपाल सिंह पुत्र आशाराम आयु 20

13—नेत्रपालसिंह पुत्र राजपित सिंह आयु 18 वर्ष निवासी मगरौली परगना गोहद जिला भिण्ड 14—बंटी पुत्र नारायणसिंह आयु 32 वर्ष 15—हरनामसिंह पुत्र नामालूम आयु 40 वर्ष जाति यादव निवासी रतवा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 निवासीगण ग्राम इकाहारा परगना डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

- प्रतिवादीगण

(वादी द्वारा—अधिवक्ता श्री आर०पी०एस० गुर्जर) (प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 8 तथा 12 एवं 14 द्वारा अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा)

(प्रतिवादी क्रमांक ९,१०,११,१२,१३ एवं १५ पूर्व से एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक 31–10–2017 को घोषित)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध करबा मौ परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 1000 मिन रकवा 0.42, सर्वे कमांक 1000 मिन रकवा 0.21, सर्वे कमांक 1001 रकवा 0.334, सर्वे कमांक 1002/1 रकवा 0.345, सर्वे कमांक 1002/2 रकवा 0.010 एवं सर्वे कमांक 1003 रकवा 0.418 के 1/2 भाग की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क्रमांक 1000 मिन रकवा 0.42, 1000 मिन रकवा 0.21, 1001 रकवा 0.334, 1002/1 रकवा 0.345, 1002/2 रकवा 0.010, 1003 रकवा 0.418 कस्बा मौ परगना गोहद में स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 भाग की पूर्व भूमि स्वामी वादी की मौसी श्रीमती बाईया खान थी बाईया की मृत्यु पश्चात वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 15 का कोई संबंध नहीं है वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा बिना अधिकार के झगड़ा कर निर्माण कार्य करने की धमकी दी गयी है। वादग्रस्त भूमि वादी की मौसी बाईया खान के पूर्वजों की पृश्तैनी संपत्ति थी एवं उक्त भूमि के 1/2 भाग की स्वत्य एवं आधिपत्यधारी वादी की मौसी बाईंया खान तथा 1/2 भाग की स्वत्व एवं आधिपत्यधारी श्रीमती फत्तन खान थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 के पिता जगतसिंह ने फर्जी रूप से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का इन्द्राज करा लिया था एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी थी तब वादी की मौसी ने व्यवहार न्यायालय वर्ग-1 गोहद के समक्ष व्यवहारवाद प्रस्तुत किया था जोकि प्र०क० 134/95 पर संचालित हुआ था उक्त वाद के विचारण के दौरान जगतसिंह द्वारा राजेन्द्र, गौरीशंकर, सियाराम, रामअभिषेक, जयपाल, एवं नेत्रपाल के हक में अधिकारविहीन विक्रय पत्र किए गए थे जिन्हें रिकार्ड पर लिया गया था परन्त् व्यवहारवाद क्रमांक 134/95 वादी की मौसी की बीमारी के कारण दिनांक 23.07.96 को पेशी पर उपस्थित न होने के कारण

अदम पैरवी में खारिज हो गया था उक्त प्रकरण को पुनः नंबर पर लिए जाने हेत् न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जोकि प्र0क0 22/97म्0दी0 पर संचालित हुआ था उक्त प्रकरण भी दिनांक 18.03.05 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। वादिया की मौसी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 19.12.05 को वादी के हक में वादग्रस्त भूमि की वसीयत कर दी थी तभी से वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है। मौसी की मृत्यु के पश्चात वादी ने दिनांक 31.01.06 को प्र0क0 134/95ए इ०दी० के संबंध में जानकारी ली थी एवं उक्त प्रकरण को पुर्नसंस्थित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। प्र0क0 134/95 ए इ०दी० बुलाये जाने हेतु कई बार पत्र जारी हुए थे तथा वादी द्वारा भी उपरोक्त प्रकरण की नकल लेने हेत् आवेदन प्रस्तृत किया गया था परन्त् प्रकरण उपलब्ध नहीं हो सका था। प्रतिवादी क्रमांक 14 एवं 15 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नींव खोदकर निर्माण कार्य करने की धमकी दी गयी थी प्रतिवादीगण झगडे पर आमादा हो गये थे। अतः वादी द्वारा अपने स्वत्व की रक्षा हेत् यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का वसीयतनामे के आधार पर बाईंया खान के स्थान पर स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न न करें।

- प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 8 एवं 12, 13, 14 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं है प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं तथा अपने स्वत्व की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजों की नहीं है वादग्रस्त भूमि में वादी की मौसी का हिस्सा 1/2 नहीं था। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 के पिता जगतसिंह ने वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज नहीं कराया था। वादी वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं है। वादग्रस्त भूमि को बाईया खान ने जर्ये विकय पत्र दिनांक 08.07.83 को प्रतिवादीगण के पूर्वज स्वर्गीय जगतिसंह एवं मुकुटिसंह को विक्रय कर दिया था विक्रय दिनांक को ही बाईंया खान ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण में दे दिया था विक्य पत्र के आधार पर मु0 बाईया खान के स्थान पर वादग्रस्त भूमि पर जगतसिंह एवं मुकुटसिंह का राजस्व रिकार्ड में नामांतरण हुआ था तथा जगतसिंह एवं मुकुटसिंह की मृत्यु पश्चात वादग्रस्त भूमि पर उनके वारिसानों के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज है तथा प्रतिवादीगण ने कुछ जमीन विक्रय की है वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है वादग्रस्त भूमि के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में व्यवहारवाद क्रमांक 134/95 महिला बाईंयाबाई वि० जगतसिंह संचालित हुआ था जो दिनांक 23.07.96 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया था वादी द्वारा पुनः उक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही की गयी है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 9,10,11,13 एवं 15 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

- 1. क्या वादी करबा मौ परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त सर्वे कमांक 1000 मिन रकवा 0. 42 सर्वे कमांक 1000 मिन रकवा 0.21 सर्वे कमांक 1001 रकवा 0.334 सर्वे कमांक 1002/1 रकवा 0.345 सर्वे कमांक 1002/2 रकवा 0.010 सर्वे कमांक 1003 रकवा 0.418 के 1/2 भाग का एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?
- 2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?
- 3. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?
- 4. क्या वाद में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष है ?
- 5. क्या प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है ?
- 6. क्या प्रस्तृत वाद अवधि बाह्य है ?
- 7. क्या वादी द्वारा आधिपत्य की सहायता न चाहे जाने के कारण प्रस्तुत वाद विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है ?
- 8. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1

6. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी गुलशेर खान वाठसाठा नें अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 100 मिन रकवा 0.42, सर्वे क्रमांक 1000 मिन रकवा 0.21, सर्वे क्रमांक 1001 रकवा 0.334, सर्वे क्रमांक 1002/1 रकवा 0.345, सर्वे क्रमांक 1002/2 रकवा 0.010 एवं सर्वे क्रमांक 1003 रकवा 0.418 है0 के 1/2 भाग की स्वत्व एवं आधिपत्यधारी वादी की मौसी बाईया खान पत्नी इब्राहीम थी। वादी की मौसी बाईया खान ने वादग्रस्त भूमि की लिखित वसीयत दिनांक 29.12.05 को उसके हित में कर दी थी। बाईया खान की मृत्यु के बाद वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि वादी की मौसी बाईया खान की पुश्तैनी संपत्ति थी एवं वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग की भूमिस्वामी उसकी मौसी बाईया खान तथा। 1/2 भाग की भूमिस्वामी महिला श्रीमती फत्तन थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 के पिता जगतसिंह ने फर्जी

इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करा लिया था तब उसकी मौसी बाईया खान ने जगतिसंह के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज वर्ग—1 गोहद के समक्ष व्यवहारवाद क्रमांक 134/95 प्रस्तुत किया था जोकि बाईया खान की अनुपस्थित में अदम पैरवी में खारिज हो गया था। उक्त प्रकरण को पुर्नसंस्थित किए जाने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह भी दिनांक 18.03.05 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। वादी की मौसी बाईया खान ने दिनांक 29.12.05 को उसके हक में लिखतम वसीयत कर दी थी तभी से वह वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में संवत 2051 से 2055 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी—3 प्र0क0 134/95 के नकल न मिलने के आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी—4 एवं 5 तथा विक्य पत्र दिनांक 08.07.83 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी—6 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।

- प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त भूमि उसके स्वामित्व की नहीं है उसकी मौसी की है। उसकी मौसी बाईंया की शादी हुई थी बाईंया के लड़की पैदा हुई थी जो खत्म हो चुकी है। उसकी मौसी बाईंया को विवादित भूमि उनके पति इब्राहीम की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई है। इब्राहीम दो भाई थे दूसरे भाई का नाम इस्माइल है। इस्माइल खान की भी मृत्यु हो चुकी है इस्माइल खान के पांच लडिकयां थी जिनमें से अभी दो जीवित हैं। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी मौसी ने उक्त जमीन के संबंध में उसके हक में वसीयत कर दी थी। वसीयतनामा उसने प्रकरण में पेश किया है इसके त्रंत पश्चात ही उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में उसने वसीयतनामा पेश नहीं किया है। पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह बाईंया का प्राकृतिक वारिस नहीं है वह वसीयतनामे के आधार पर वारिस है। उसकी मौसी उसके पास रहती थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर राजस्व कागजात में उसका नाम नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर मुकुटसिंह के लड़के भूपसिंह, ध्रुवसिंह, मेघसिंह, जसवंतसिंह आदि का पानी का बोर लगा है जिससे वह विवादित भूमि की सिंचाई करते हैं। विवादित भूमि पर पौने दो बीघा भूमि पर उसका कब्जा है वह उसने किसी से खरीदी नहीं है उक्त जमीन उसकी मौसी उसे दे गयी थी। पद कमांक 11 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसका सर्वे क्रमांक 1101, 1002 एवं 1003 पर कब्जा है। पद कमांक 12 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मुक्टिसंह एवं जगतिसंह की मृत्यु के बाद उनके लड़कों का नामांतरण हो गया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर जगतसिंह एवं मुकुटसिंह के लड़कों के नाम का इन्द्राज है।
- 8. वादी साक्षी मोहरसिंह वार्क्सा02 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 9. प्रतिवादी भूपिसंह प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया गया है कि वादी गुलशेर खान वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी नहीं है। वादग्रस्त भूमि मु0बाईया के नाम की भूमि थी एवं बाईया ने उसके पिता एवं चाचा के हक में वादग्रस्त भूमि विधिवत विक्रय की तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रदान किया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में उसके पिता एवं चाचा का कब्जा था तथा वर्तमान में सभी भाइयों का कब्जा है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कागजात में वादग्रस्त भूमि पर उसके पिता एवं चाचा के नाम का नामांतरण हो चुका है एवं पिता तथा चाचा की मृत्यु के बाद उक्त प्रतिवादीगण का नामांतरण हो चुका है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधार हैं तथा वादग्रस्त भूमि पर

उनकी खेती हो रही है। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में आवेदन आदेश 9 नियम 4 सीपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी—1 एवं आदेश पत्रिका दिनांक 12.02.14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी—2 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह दावे वाली जमीन का सर्वे कमांक नहीं बता सकता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि दावे में वर्णित किस सर्वे नंबर का उसने बयनामा कराया है बयनामा किस सर्वे कमांक का हुआ था उसे जानकारी नहीं है उसके पिता एवं चाचा को होगी। उसे जानकारी नहीं है कि उसके पिता एवं चाचा ने कितने रकवे का बयनामा कराया था।

- 10. प्रतिवादी साक्षी भोलाराम प्र0सा02 ने भी प्रतिवादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 11. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि बाईंया खान ने वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादी को की थी तभी से वादी का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य है जबिक तर्क के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है।
- प्रस्तुत प्रकरण में वादी गुलशेर खां वा०सा०1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसकी मौसी बाईया खां के पूर्वजों के समय की पृश्तैनी संपत्ति थी जिसमें उसकी मौसी बाईयां खां का हिस्सा 1/2 था एवं बाईया खां की मृत्यु के बाद वह वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी गुलशेर वा०सा०१ द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि बाईयां खान ने उसके हित में वादग्रस्त भूमि का दिनांक 29.12.05 को लिखतम वसीयतनामा निष्पादित किया था जिसके आधार पर वह वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ग्लेशर वा०सा०१ ने वादग्रस्त भूमि बाईया खान के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना अभिवचनित किया है एवं यह भी अभिवचनित किया है कि विवादित भूमि बाईंया खां को उनके पति इब्राहीम की मृत्यू उपरांत प्राप्त हुई थी परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादों की मौसी मृतक बाईंया खान के स्वामित्व की भूमि थी यद्यपि वादी द्वारा जो प्र0पी–6 के विक्रय पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है उससे यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि में से एक बीघा 17 विश्वा भूमि बाईया खान द्वारा जगतसिंह एवं मुक्टसिंह को विक्रय की गयी थी। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त भूमि वादी की मौसी बाईंया खान के स्वत्व की भूमि थी तो भी सुन्नी विधि के सामान्य उत्तराधिकार के नियम के अनुसार वादी मृतक बाईंया खान का प्रारंभिक वारिस नहीं है। वादी गुलशेर वा0सा01 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि मृतक बाईंया खान ने वादग्रस्त भूमि का लिखतम वसीयतनामा उसके हित में निष्पादित किया था परन्तु मुस्लिम विधि के अनुसार किसी मुस्लिम व्यक्ति को उसके अंतिम संस्कारों के व्ययों का प्रावधान करने के उपरांत उसकी संपत्ति के 1/3 भाग से ज्यादा भाग की वसीयत करने का अधिकार नहीं है। उक्त प्रावधान के अनुसार भी मृतक बाईया खान द्वारा वादग्रस्त संपूर्ण संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती थी।
- 13. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी गुलशेर वा०सा०1 ने वादग्रस्त संपूर्ण भूमि की वसीयत मृतक बाईया खान द्वारा उसके हित में निष्पादित करना बताया है परन्तु ऐसी कोई वसीयत वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रस्तुत

प्रकरण में वादी गुलशेर वा०सा०1 ने वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी होना बताया है परन्तु वादी द्वारा ऐसी कोई वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थित में यह प्रमाणित नहीं है कि मृतक बाईंया खान ने वादग्रस्त संपत्ति की वसीयत वादी के हक में की थी अतः वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व प्रमाणित नहीं है जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो वादी गुलशेर वा०सा०1 ने वादग्रस्त भूमि का अपना आधिपत्य होना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी द्वारा जो संवत् 2051 लगायत 2055 का खसरा प्र०पी—3 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में अंकित है जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित करना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य दर्शित होता हो ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य भी दर्शित नहीं है।

- 14. 🔥 जहां तक उक्त संबंध में आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी गुलशेर वा०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर 15–16 लोगों का कब्जा है तथा विवादित भूमि पर तर्जनसिंह, बंटीसिंह, अखिलेश इत्यादि के मकान बने हैं। यद्यपि उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि सर्वे क्रमांक 1001, 1002 एवं 1003 पर उसका कब्जा है परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी साक्षी मोहरसिंह वा०सा०२ ने अपने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में वादग्रस्त भूमि वादी की मौसी द्वारा वादी के हित में वसीयत करने एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होने बाबत कथन किया है। परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि बाईंया के पास कितनी जमीन थी उसे सिर्फ इतनी जानकारी है कि बाईंया गुलशेर की मौसी थी गुलशेर ने उससे कहा था कि यह बात न्यायालय में बता देना उसे जानकारी नहीं है कि किस जमीन का मामला चल रहा है एवं किस जमीन के बारे में वह गवाही देने आया है। इस प्रकार वादी साक्षी मोहरसिंह वा0सा02 के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि साक्षी मोहरसिंह वा0सा02 को भी विवादित भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है वह मात्र वादी के कहे अनुसार प्रकरण में कथन देने आया है। प्रकरण में आई मौखिक साक्ष्य से भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है।
- 15. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1000 मिन रकवा 0.42, सर्वे क्रमांक 1000 मिन रकवा 0.21, सर्वे क्रमांक 1001 मिन रकवा 0.334, सर्वे क्रमांक 1002/1 रकवा 0.345, सर्वे क्रमांक 1002/2 रकवा 0.010, एवं सर्वे क्रमांक 1003 रकवा 0.418 के 1/2 भाग का एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है फलतः उक्त वादग्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–2 एवं 3</u>

16. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है अतः यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

🔨 <u>वाद प्रश्न क्रमांक–4</u>

17. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के अलावा दस अन्य लोगों के मकान भी बने हुए हैं जिन्हें वादी ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है अतः प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध भी सहायता चाही गयी है। प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रकरण में अन्य आवश्यक पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न क्रमांक-5

- 18. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक दीवानी दावा प्र0क0 134ए/95 इ0दी0 महिला बाईया खान विरुद्ध जगतिसंह चला था जोिक दिनांक 23.07.96 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया था जिसे पुर्नसंस्थापित करने हेतु वादी के द्वारा कार्यवाही संचालित है। इस प्रकार दोहरी प्रक्रिया संचालित नहीं हो सकती है अतः प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है।
- 19. प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है वादी ने भी अपने वादपत्र में यह अभिवचन किया है कि उक्त भूमि के संबंध में मृतक बाईया खान द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग—1 गोहद में व्यवहारवाद कमांक 134/95 ए इ०दी० संचालित हुआ था जोकि दिनांक 23.07.96 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया था परन्तु उभयपक्षों द्वारा प्र०क० 134ए/95इ०दी० के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए। वादी द्वारा उक्त संबंध में नकल आवेदनों की प्रतिलिपि प्र०पी—4 एवं प्र०पी—5 अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है परन्तु वादी द्वारा प्र०क० 134ए/95 इ०दी० के वादपत्र जवाबदावा एवं वादप्रश्न की प्रतिलिपियां अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत कोई वाद प्रांगन्याय के आधार पर तभी वर्जित होगा जबिक पूववर्ती वाद का अंतिम निराकरण हो चुका हो एवं पश्चातवर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों उन्हीं वाद विषय पर आधारित हो जिन पर पूर्ववर्ती वाद प्रस्तुत किया गया हो प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्र०क० 134ए/95 इ०दी० के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्र०क० 134ए/95 इ०दी० के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि पूर्ववर्ती वाद प्र०क० 134ए/95 एवं प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकार तथा वाद विषय समान थे यहां यह भी

उल्लेखनीय है कि उभयपक्षों द्वारा किए गए अभिकथन से यह भी दर्शित है कि पूर्वववर्ती वाद प्र0क0 134ए/95 का अंतिम निराकरण नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद प्रांगन्याय के सिद्धांत के अनुसार वर्जित नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्नभी वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न क्रमांक-6

- 20. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी की जानकारी में वादग्रस्त भूमि के संबंध में संचालित दावा दिनांक 23.07.96 को खारिज हो चुका है अतः प्रस्तुत वाद अविध बाह्य है।
- 21. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादी ने प्रस्तुत वाद में वाद कारण दिनांक 06.08.11 को उत्पन्न होना बताया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 22.11.11 को प्रस्तुत किया गया है एवं परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार घोषणा प्राप्त करने के लिए वाद लाने की अविध वाद लाने का आधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होने की तिथि से तीन वर्ष तक है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वाद कारण दिनांक 06.08.11 को उत्पन्न होना बताया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 22.11.11 को अर्थात तीन वर्ष की अविध के अंदर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यही दर्शित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद परिसीमा अधिनियम में विहित समयाविध के अंदर प्रस्तुत किया गया है। फलतः प्रस्तुत वाद अविध बाह्य नहीं है। अतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न क्रमांक-7

- 22. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है एवं वादी ने अपने वादपत्र में कब्जा प्राप्त करने की सहायता नहीं चाही है अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।
- 23. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग की स्वत्व घोषणा एवं सीयी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा वादी द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी होने का अभिवचन किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य होने का अभिवचन किया है। प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि बाईया खान ने उसे विक्रय कर दी थी परन्तु प्र0पी—6 के विक्रय पत्र के अनुसार वादग्रस्त संपूर्ण भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय किया जाना दर्शित नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य होने का अभिवचन किया है एवं स्वत्व तथा आधिपत्य की घोषणा चाही है ऐसी स्थिति में वादी को प्रथक से कब्जा प्राप्त करने की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। फलतः यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

सहायता एवं व्यय

- 24. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।
- 25. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 26. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक - 31-10-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

(प्रतिष्टा अवस्थी) अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

